कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎(05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -643 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 22/08/2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए कि0मी0 133.00 से कि0मी0 170.00 (बेरीनाग- चकोड़ी - काण्डा- बागेश्वर - ताकुला अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/151113/2022।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 2788 / FP/UK/ROAD/151113/2022 दिनांक 21.05.2022.

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 553 / 12-1 (2) दिनांक 20.08.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है। कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

<u>संलग्नक- यथोपरि तीन प्रतियों में।</u>

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249 वन मित्र काल सेटरं- 9208008000

पत्रांक 553 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 20/08 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – **जनपद बागेश्वर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 133.00 से 177.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या –151113 / 2022)**

सन्दर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0 2788 / FP/UK/ROAD/151113/2022 दिनांक 21.05.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर. फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है, प्रस्तावक विभाग द्वारा उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु स0 1	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट– I के पैरा– (X) में वन भूमि कितने वर्षों हेतु प्रत्यावर्तित की जा रही है, इसकी सूचना अपलोड नहीं की गयी है। कृपया सही सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तित की सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पार्ट–I के पैरा A-1(x) में अंकित कर लिया गया है (संलग्न पार्ट –I की प्रति।
2	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त ऑनलाईन अपलोड प्रमाण पत्र में उक्त हेतु श्री दीपक कुमार जोशी, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रानीखेत को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है। प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल पार्ट–I के पैरा A-3(xvii) में अपलोड कर लिया गया है।
3	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑनलाईन पार्ट–II, para-5 मे working plan की सूचना नहीं भरी है। उक्त सूचना यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करे।	working plan की सूचना ऑनलाईन पार्ट– II, para-5 मे यथा स्थान पर अपलोड कर दिया गया है।
4	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee के अधिकाश अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न किये गय है। शेष दो ग्रामों के (त्यूनरा, बिलौनासेरा) के प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट– I के पैरा L में क्षतिपूरक की सूचना अपलोड नहीं की गयी है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने वन भूमि में करते हुये सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के मानचित्र, के0एम0एल0 फाईल , जी0पी0ए0 कोआर्डिनेट की सूचना ऑनलाईन पार्ट– I एवं पार्ट– II में अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट– I के पैरा L में क्षतिपूरक की सूचना अपलोड कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के मानचित्र, के0एम0एल0 फाईल , जी0पी0ए0 कोआर्डिनेट की सूचना ऑनलाईन पार्ट– I एवं पार्ट– II में अपलोड कर दी गयी है।
6	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रमाण पत्र में वन भूमि प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–6739 अंकित की गयी है। जबकि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट– II में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 6596 अपलोड की गयी है। कृपया प्रभावित वृक्षों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव मे आरक्षित वन, वन पंचायतीय, सिविल सोयम भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 6596 है, तथा 143 वृक्ष नाप भूमि में प्रभावित हो रहे है।
7	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की DSS रिपोर्ट भी प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में चयनित स्थल पालड़ी क018, दुगीधार क0 05 पन्द्रपाली क01 के क्षेत्रों को संशोधित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र पन्द्रहपाली कक्ष सं0–1 में 15 है0, पालड़ी कक्ष स0–08 में 13 है0, हल्द्वानी कक्ष सं– 02 में 10 है0, पैंसिया कक्ष सं0–01 में 6.224 है0 क्षेत्र का चयन किया गया है, उक्त क्षतिपूरक भूमि की DSS रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नः– 1– क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र।
2– क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राकलन।
3– DSS रिपोट

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर